राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (38)परि/नियम/मु./14720 जयपुर, दिनांक :– 03/08/2015

कार्यालय आदेश 26/2015

वर्तमान में अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन जो राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से लाये जाते हैं, के पुनः पंजीयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प्रारूप–27 के साथ नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC / प्ररूप–28) प्राप्त किया जाता है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु जरिए डाक/रजिस्टर्ड डाक मूल पंजीयन अधिकारी से किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त प्रक्रिया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत दुविधापूर्ण एवं विलंबकारी है।

वर्तमान में अधिकांश राज्यों में पंजीयन कार्य ''वाहन'' सॉफ्टवेयर के माध्यम से अथवा अन्य सॉफ्टवेयर से कम्प्यूटरीकृत किया जाकर ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जा रहे हैं एवं समस्त आंकडें संबंधित राज्य के अधिकृत वेब–पोर्टल अथवा नेशनल रजिस्टर (NR) पर उपलब्ध है। नेशनल रजिस्टर (NR) के लॉगईन हेतु मुख्यालय स्तर पर समस्त पंजीयन अधिकारियों को पहचान (Login ID) एवं सुरक्षा कोड (Password) उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिसकी सहायता से संबंधित वाहन के विवरण यथा–ईंजन संख्या, चैसिस संख्या, पंजीयन क्रमांक आदि का प्रयोग कर, अनापत्ति प्रमाण–पत्र का सत्यापन सुगमता से किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र सत्यापन की पारंपरिक व्यवस्था (डाक/रजिस्टर्ड डाक) के विकल्प में मुख्य रूप से ''वाहन'' के नेशनल रजिस्टर अथवा संबंधित राज्य के वेबपोर्टल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) सत्यापन किया जावे तथा उक्त रीति से सत्यापन की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में ही डाक की सहायता ली जावे, जिससे कि एसाईन्मेन्ट का कार्य सुगम व सरल हो सके।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

क्रमांक :– प.7 (38)परि/नियम/मु./15721-725 जयपुर, दिनांक :– 03/08/2015

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
4. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

E:\Komal Prajapat\Others\Office Order